संख्या:२१ / 2026/705/ सत्रह-म-2026-17-1099/63/2026(2043619)

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
अपर मुख्य सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ दिनाक: 15 मई, 2026

विषयः झींगा पालन के सम्बंध में नियामक ढांचा (Regulatory Framework) निर्गत किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-242/नि0शा0/श्रिम्प/ 2025-26 दिनांक 17 अप्रैल 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से झींगा पालन के सम्बंध में Regulatory Framework निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश के अंतर्देशीय खारे जलक्षेत्रों (Inland Saline Areas) में झींगा पालन को विनियमित करने के लिए विनियामक ढांचे (Regulatory Framework) के सम्बंध में निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की जाती है-

1. उद्देश्य एवं कार्यक्षेत्र

इस ढांचे का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के अंतर्देशीय खारे जलक्षेत्र में झींगा पालन (विशेष रूप से L. vannamei) को विनियमित करना, जैव-सुरक्षा (Bio-security) सुनिश्चित करना और अंर्तराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता बनाए रखना है।

2. पंजीकरण एवं अनुमति (Registration & Permission)

(2.1)अनिवार्यता: बिना पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति अंतर्स्थलीय जल में झींगा पालन नहीं करेगा।

(2.2) सक्षम प्राधिकारी: जिला स्तरीय समिति (DLC) पंजीकरण (**Registration**) और पालन (culture) की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगी।

(2.3) समय सीमा: आवेदन प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर निरीक्षण और सिफारिशों के आधार पर अनुमति प्रदान की जाएगी।

(2.4) लवणता मानक: यह अनुमति केवल उन फार्मों को दी जाएगी जहां पानी की लवणता (Salinity) 0.5 ppt से अधिक है।

3. फार्म प्रबंधन और संचालन दिशानिर्देश

(3.1) स्टॉकिंग घनत्व (Stocking Density): झींगा बीज संचयन की अधिकतम सीमा 60 प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(3.2) बीज स्रोत: केवल तटीय जलकृषि प्राधिकरण (CAA) द्वारा अनुमोदित हैचरी से परीक्षण किया गया और प्रमाणित बीज (SPF बीज) ही प्राप्त किया जाएगा।

(3.3) प्रतिबंधित दवाएं: खेती में किसी भी प्रतिबंधित दवाओं या एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग सख्त वर्जित है।

(3.4) अभिलेख रखरखाव: प्रत्येक फार्म को बीज स्रोत , पानी की गुणवत्ता , दैनिक फीडिंग और रसायनों के उपयोग का विस्तृत रिकार्ड रखना होगा।

4. जैव-सुरक्षा उपाय (Bio-security Measures)

(4.1) बाड़ लगाना (Fencing): जानवरों को रोकने के लिए 'फेसिंग' और पक्षियों से बचाव के लिए 'बर्ड स्केयर' (Bird Scare)' लगाना अनिवार्य है।

(4.2) पृथक उपकरण: प्रत्येक तालाव के लिए अलग-अलग उपकरणों और औजारों का उपयोग किया जाएगा।

5. अपशिष्ट जल प्रबंधन (Effluent Treatment System ETS)

(5.1) निकास मानक: यदि फार्म खुले जल स्रोतों (नदियाँ नहरों आदि) से जुड़ा है , तो एक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम (ETS) स्थापित करना अनिवार्य होगा।

(5.2) विसर्जन: उपचारित पानी की गुणवत्ता प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए।

(5.3) बीमारी की सूचना: किसी भी बीमारी के प्रकोप की स्थिति में किसान को तुरंत जिला मत्स्य अधिकारी को सूचित करना होगा।

6. आवेदन हेतु आवश्यक विवरण (Application Details)

पंजीकरण हेतु आवेदन में निम्नलिखित सूचनाएं देना आवश्यक होगा:

(6.1) भूमि विवरण: जिला, तहसील, राजस्व ग्राम और खसरा संख्या।

(6.2) जल स्रोत: पानी की आपूर्ति का स्रोत (नहर , बोरवेल आदि)।

(6.3) तकनीकी विवरण: प्रस्तावित क्षेत्र, स्टॉकिंग घनत्व और फीड प्रबंधन की जानकारी।

(6.4) ETS विवरण: अपशिष्ट जल के उपचार की व्यवस्था।

7. जिला स्तरीय समिति (District Level Committee DLC) का गठन

झींगा पालन के पंजीकरण और निगरानी के लिए प्रत्येक सम् वंधित जिले में एक समिति होगी।

(7.1) अध्यक्ष: जिलाधिकारी (District Magistrate) या उनके द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी (CDO)।

(7.2) सदस्य सचिव: जिला मत्स्य अधिकारी (District Fisheries Officer)।

(7.3) सदस्य: क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि ।

राजस्व विभाग के प्रतिनिधि (तहसीलदार स्तर)।

भू-गर्भ जल विभाग के प्रतिनिधि।

अध्यक्ष द्वारा नामित प्रगतिशील झींगा पालक।

7. (क)- समिति के मुख्य कार्य और उत्तरदायित्व

(1)पंजीकरण: लवणीय क्षेत्रों में L. vannamei के पालन हेतु प्राप्त आवेदनों की समीक्षा करना और अनुमति प्रदान करना।

(2) स्थल निरीक्षण: आवेदन मिलने के 60 दिनों के भीतर प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण करना

और उसकी उपयुक्तता की जांच करना।

(3)निगरानी: यह सुनिश्चित करना कि किसान जैव-सुरक्षा मानकों और निर्धारित स्टॉकिंग घनत्व (अधिकतम 60/वर्ग मीटर) का पालन कर रहे हैं।

(4)रोग नियंत्रण: किसी बीमारी की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करना और संक्रमित पानी के सुरक्षित निस्तारण की निगरानी करना।

7. (ख)- पंजीकरण हेतु अनिवार्य शर्तें एवं मानक

समिति केवल उन्हीं फार्मों को अनुमति देगी जो निम्नलिखित मानकों को पूरा करते हों:

(1) जल लवणता: पानी की लवणता 0.5 ppt से अधिक होनी चाहिए।

(2)बफर जोन: कृषि भूमि और बस्तियों से उचित दूरी (पर्यावरण सुरक्षा हेतु)।

(3)अपशिष्ट प्रबंधन (ETS): खुले जल सोतों से जुड़े फार्मों के लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम अनिवार्य होगा।

(4)बीज का स्रोत: केवल CAA द्वारा अनुमोदित हैचरी से प्राप्त SPF (Specific Pathogen Free) बीज का ही उपयोग किया जाएगा।

7. (ग)-आवेदन की प्रक्रिया (Application Process)

(1) आवेदन पत्र: किसान निर्धारित प्रारूप में जिला मत्स्य अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करेंगे।

(2) दस्तावेज: आवेदन के साथ भूमि का स्वामित्व/पट्टा विवरण, जल परीक्षण रिपोर्ट और प्रस्तावित फार्म का ले-आउट मैप संलग्न करना होगा।

(3) निरीक्षण: DLC द्वारा गठित उप-समिति स्थल का दौरा कर जैव-सुरक्षा उपायों (जैसे फैंस फैसिंग, बर्ड स्फेयर) की पुष्टि करेगी।

(4) अनुमोदन: रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने पर समिति 'पालन अनुमति पत्र जारी करेगी।

7. (घ)- दंडात्मक प्रावधान

(1) बिना पंजीकरण के खेती पाए जाने पर या प्रतिबंधित रसायनों/एंटीबायोटिक के उपयोग पर समिति पंजीकरण रद्द कर सकती है और दंडात्मक कार्रवाही कर सकती है।

(2) बीमारी छुपाने या अनुपचारित पानी को सार्वजनिक नालों में छोड़ने पर सख्त जुर्माना लगाया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के अंतर्देशीय खारे जलक्षेत्र में झींगा पालन (L.vannamei) की अनुमति हेतु आवेदन का प्रारूप-

आवेदन संख्या: (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा).....

आवेदन की तिथि:.....

1- व्यक्तिगत विवरण

- आवेदक /कंपनी का नाम (स्पष्ट अक्षरों में): .....
- पत्राचार का पता:.....
- संपर्क नंबर और ई-मेल:.....

2. भूमि एवं स्थल का विवरण

- जिला/मण्डल/राजस्व ग्राम:.....

- खसरा/सर्वे संख्याः .....
- स्वामित्व का प्रकार (निजी/पट्टा): .....
- यदि पट्टा है, तो अवधि का उल्लेख करें: .....
- फुल फार्म क्षेत्र (हेक्टेयर में): .....
- जल पसार क्षेत्र (Water Spread Area): .....

3. तकनीकी एवं संचालन विवरण

- जल आपूर्ति का स्रोतः (नहर/बोरवेल/अन्य) .....
- प्रस्तावित स्टॉकिंग घनत्व (बीज संख्या/वर्ग मीटर): (अधिकतम 60/वर्ग मीटर) .....
- बीज का स्रोत (CAA अनुमोदित हैचरी का नाम): .....
- फीड (आहार) का सोत और प्रबंधनः.....
- एयरेटर (Aerators) की संख्या और क्षमताः.....

4. जैव-सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन

- जैव-सुरक्षा उपाय (हॉ/नहीं): .....
- फेन्सिंग (Fencing): .....
- बर्ड स्केयर (Bird Scare): .....
- एफ्लुएंट ट्रीटमेंट सिस्टम (ETS) का विवरणः.....

(उपचारित जल के निस्तारण की योजना)

- बीमारी की स्थिति में आकस्मिक योजना (Contingency Plan): .....

आवेदक द्वारा घोषणा

मैं/हम ..... निवासी पुत्र/पुत्री/पत्नी ..... यह घोषणा करता हूँ करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी सर्वोतम जानकारी के अनुसार सत्य है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यदि दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है या सरकारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होता है, तो मेरा पंजीकरण रद्द किया जा सकता है और मेरे विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

स्थानः

दिनांकः आवेदक के हस्ताक्षरः,

संलग्नक (Checklist):

1. भूमि के स्वामित्व/पट्टे के दस्तावेज की प्रति।
2. जल परीक्षण रिपोर्ट (लवणता/Salinity रिपोर्ट)।
3. फार्म का ले-आउट मैप (ETS के साथ)।
4. आधार कार्ड/पहचान पत्र की प्रति।

जिला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा जारी किए जाने वाले पंजीकरण/अनुमति प्रमाण पत्र का प्रारूप।

मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश

L. vannamei झींगा पालन हेतु पंजीकरण एवं अनुमति प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र संख्या:

दिनांक:

आवेदक श्री/श्रीमती/मैसर्स..... दिनांक निवासी द्वारा प्रस्तुत आवेदन संख्या के क्रम में, जिला स्तरीय समिति (DLC) की संस्तुति के आधार पर, निम्नलिखित विवरण के अनुसार अर्न्तस्थलीय लवणीय जल में L. vannamei झींगा पालन की अनुमति प्रदान की जाती है:

1-फार्म का विवरण

- स्थान/ग्राम:.....
- तहसील एवं जिला: .....
- खसरा/सर्वे संख्या:.....
- अनुमोदित जल प्रसार क्षेत्र (WSA): .....हेक्टेयर

2. संचालन की शर्तें

- **बीज संचयन घनत्व:** संचयन की अधिकतम सीमा 60 प्रति वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगी।
- **बीज का स्रोत:** केवल CAA द्वारा अनुमोदित हैचरी से प्राप्त SPF बीज का ही उपयोग किया जाएगा।
- **जैव-सुरक्षा:** फार्म पर कैब फेन्सिंग, वर्ड नेटिंग और पृथक उपकरणों का रखरखाव अनिवार्य है।
- **अपशिष्ट प्रबंधन (ETS):** फार्म से निकलने वाले पानी का उपचार ETS के माध्यम से करना अनिवार्य है।
- **निषिद्ध दवाएं:** खेती में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित एंटीबायोटिक या रसायनों का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।

3. महत्वपूर्ण निर्देश

- किसी भी बीमारी के प्रकोप की स्थिति में, फार्म संचालक को तत्काल जिला मत्स्य अधिकारी को सूचित करना होगा।
- संचालक को बीज खरीद, आहार (Feed) और पानी की गुणवत्ता का विस्तृत रिकॉर्ड (Format-A के अनुसार) संधारित करना होगा।
- यह अनुमति केवल 0.5 ppt से अधिक लवणता वाले जल के लिए ही मान्य है।
- **वैधता:** यह प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से ..... वर्ष फसल के लिए वैध है।

हस्ताक्षर एवं मुहर
अध्यक्ष/सदस्य सचिव
जिला स्तरीय समिति (DLC) उत्तर प्रदेश

जिला स्तरीय समिति (DLC) के सदस्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report) का प्रारूप।

(यह रिपोर्ट पंजीकरण की अंतिम स्वीकृति का मुख्य आधार होगी)

झींगा पालन फार्म स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)

निरीक्षण की तिथि:.....

आवेदन संख्या:

1. **सामान्य विवरण**
   - आवेदक का नाम: .....
   - फार्म का स्थान (ग्राम/तहसील/जिला): .....
   - खसरा/सर्वे संख्या:.....

2. **तकनीकी मापदंड (Technical Parameters)**

मापदंड (Parameters)	निरीक्षण विवरण (Observation)
जल की लवणता (Salinity)	.....ppt
प्रस्तावित संचयत घनत्व	.....प्रति वर्ग मीटर
फार्म का ले-आउट	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार
जल आपूर्ति का स्रोत	.....

3. जैव-सुरक्षा और पर्यावरण (Bio-security & Environment)

- फेन्सिंग (Fencing): स्थापित/अस्थापित
- बर्ड स्केयर/नेटिंग (Bird Scare): स्थापित/अस्थापित
- पृथक उपकरण (Separate Implements): उपलब्ध/अनुपलब्ध
- एफ्लुंट ट्रीटमेंट सिस्टम (ETS): उपलब्ध/निर्माणाधीन/आवश्यक नहीं
- निकटतम सार्वजनिक जल स्रोत से दूरी: मीटर

4. अभिलेख और प्रबंधन (Records & Management)

- अभिलेख रखरखाव प्रणाली: सन्तोषजनक/असन्तोषजनक
- प्रशिक्षित तकनीशियन की उपलब्धता: हाँ नहीं

निरीक्षण समिति की संस्तुति (Recommendations)

[ ] पंजीकरण हेतु संस्तुत (Recommended): फार्म सभी निर्धारित मानों और जैव-सुरक्षा नियमों को पूरा करता है।

[ ] सुधार हेतु निर्देशित (Recommended with conditions): निम्नलिखित कमियों को सुधारने के उपरांत ही अनुमति दी जाए:

[ ] अस्वीकृत (Not Recommended): निम्नलिखित कारों से पंजीकरण हेतु अनुपयुक्त पाया गया:

निरीक्षण दल के हस्ताक्षर:

सदस्य (राजस्व विभाग):

सदस्य (प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड):

सदस्य सचिव (मत्स्य विभाग):

सूचना बीमारी रिपोर्टिंगः क्या किसान के पास बीमारी की स्थिति में तत्काल सूचना देने का तंत्र है?

संकलित विनयामित ढांचाः एक नजर में

प्रकिया	समयसीमा	उत्तरदायी प्राधिकारी
आवेदन जमा करना		जिला मत्स्य अधिकारी (ADF/CEO)
स्थलीय निरीक्षण	60 दिनों के भीतर	जिला स्तरीय समिति (DLC)
अनुमति पत्र जारी करना	निरीक्षण के उपरांत	अध्यक्ष, DLC (DM/CDO)
निगरानी एवं आडिट	फसल चक के दौरान	मत्स्य विभाग के तकनीकी अधिकारी

उत्तर प्रदेश झींगा पालन कार्यान्वयन चेकलिस्ट
(Departmental Checklist)

1. आवेदन प्राप्ति चरण (Application Stage)

- पूर्णता की जांचः क्या आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरे गए है ?
- भूमि स्वामित्वः क्या नवीनतम खतौनी/पट्टा अभिलेख संलग्न है?
- जल परीक्षणः क्या अधिकृत लैब से जल की लवणता (>0.5 ppt) की रिपोर्ट संलग्न है?
- ले-आउट मैपः क्या फार्म का नक्शा जिसमें तालाब, नाली और ETS (अपशिष्ट उपचार) अंकित हो, जमा किया गया है?

2. निरीक्षण एवं तकनीकी मूल्यांकन (Inspection Stage)

- दूरी मानकः क्या फार्म किसी सार्वजनिक जल स्रोत या बस्ती से सुरक्षित दूरी पर है ?
- जैव-सुरक्षा (Bio-security):
- क्या तालाबों के चारों ओर फेन्सिंग (Fencing) की व्यवस्था है?
- क्या पक्षियों से बचाव हेतु बर्ड स्फेयर (Bird Scare) के पुख्ता इंतजाम हैं?
- अपशिष्ट प्रबंधन (ETS): यदि फार्म नदी/नहर से जुड़ा है, तो क्या प्रभावी ETS की व्यवस्था की गई है?
- उपकरणः क्या प्रत्येक तालाब के लिए अलग-अलग उपकरणों (Implements) की व्यवस्था है?

3. अनुमति एवं संचयन चरण (Approval & Stocking Stage)

- DLC अनुमोदनः क्या जिला स्तरीय समिति ने अपनी स्पष्ट संस्तुति प्रदान की है ?
- बीज स्रोतः क्या किसान ने CAA अनुमोदित हैचरी से बीज लेने का शपथ पत्र दिया है ?
- स्टॉकिंग सीमाः क्या किसान को सूचित कर दिया गया है कि संचयन 60/वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा?

4. पोस्ट-संचयन और निगरानी (Monitoring Stage)

- अभिलेख संधारणः क्या किसान द्वारा फार्म बुक (बीज, फीड, रसायनों का रिकोर्ड) बनाए रखने की व्यवस्था है?
- एंटीबायोटिक जांचः क्या प्रतिबंधित दवाओं के उपयोग न करने के निर्देशों का पालन हो

रहा है?

5- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि योजना के संचालन में द्विरावृत्ति न हो।

कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

Digitally signed by
MUKESH KUMAR MESHRAM
Date: 13-05-2026 18:32:44

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2। /2026/ 705(1)सत्रह-म-2026 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, मत्स्य, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन/सिंचाई/ग्राम्य विकास/वित्त/ कृषि/ पंचायतीराज/ संस्थागत वित्त/ कार्मिक/खाद्य एवं प्रसस्करण /राजस्व विभाग एवं नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष कार्याधिकारी,कृषि उत्पादन आयुक्त,उ0प्र0 शासन।
4. मुख्य कार्यपालक, राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड, हैदराबाद, तेलंगाना ।
5. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
9. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री, प्रयागराज को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
10. समन्वयक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैंक आफ बडौदा उ0प्र0 लखनऊ।
11. समस्त उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
12. समस्त सहायक निदेशक मत्स्य/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी उ0प्र0।
13. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ अधिशासी निदेशक, मत्स्य पालक विकास अभिकरण उ0प्र0।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम चरन राम)
उप सचिव।